भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 927
दिनांक 22 जुलाई, 2016 को उत्तर देने के लिए

भारत में गरीबी

927. श्री बी.वी. नाईक:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अत्यन्त गरीबी में रहने वाली जनसंख्या के एक चौथाई से कुछ अधिक लोग भारत के आठ राज्यों में रहते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार के पास अपने नागरिकों की गरीबी के बारे में बेहतर सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि जरूरतमंद लोगों तक विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभ किस प्रकार पहुंचे ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आये?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय
तथा राज्य मंत्री, शहरी विकास एवं
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी हाँ। ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) द्वारा 22 जून ,2015 को जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, दुनिया भर में बहुआयामी गरीबी में रह रहे लोगों की कुल संख्या 1.6 बिलियन है जिसमें से लगभग 440 मिलियन गरीब भारत के आठ निर्धनतम राज्यों में रहते हैं। ये राज्य हैं- बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) बहुआयामी गरीबी में जी रहे लोगों के अनुपात की गणना उन परिवारों की संख्या के अनुपात में की जाती है, जो कुल परिवारों की संख्या की तुलना में बहुआयामी गरीब हैं। किसी परिवार को बहुआयामी गरीब तभी माना जाता है जब वह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-यापन के क्षेत्रों के दस सूचकों की सूची में से दो से छह सूचकों (अथवा भारित सूचकों में से तीस प्रतिशत से अधिक) के संयोग से वंचित हो। ये सूचक हैं: (i) शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के वर्ष तथा बाल नामांकन, (ii) स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाल मृत्यु-दर और पोषण, तथा (iii) जीवन-स्तर के क्षेत्र में बिजली, सफाई, पेयजल, फ्लोर-स्पेस, रसोई ईंधन और परिसम्पत्तियाँ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएचआई द्वारा भारत के मामले में प्रयुक्त डेटा 2005-06 की अवधि का है जबकि अन्य देशों के मामले में यह हाल का है। चूंकि कुपोषण के मामले में भारत संबंधी डेटा, जो एमपीआई संकलन में प्रयुक्त स्वास्थ्य सूचकों में से एक है, 2005-06 के बाद उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के मामले में एमपीआई मौजूदा वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है।

(ग) पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा गरीबी के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित थी। गरीबी संबंधी इन अनुमानों को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में किए गए वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से परिकलित किया गया है। ये सर्वेक्षण सामान्यतः पांच वर्ष में एक बार किए जाते हैं। एनएसएसओ द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी 68वें दौर के वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े 2011-12 के हैं। 2011-12 के लिए गरीबी रेखाओं तथा गरीबी अनुपातों की परिगणना मौजूदा तेंदुलकर पद्धति के आधार पर की गई है और इन्हें 22 जुलाई, 2013 के प्रेस नोट द्वारा जारी किया जा चुका है।

(घ) लक्षित लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न पहलें कर रही है। यह कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक अनुवीक्षण कर रही है। सरकार जैम संख्या ट्रिनिटी अर्थात् जन-धन योजना,आधार और मोबाइल संख्या के रूप में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल पर विचार कर रही है। इससे राज्य को गरीब परिवारों को लक्षित और कम विरूपित रूप में सहायता प्रदान करने में सुविधा होगी। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना भी शुरू की है जिसके तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी अंतरित की जा रही है।

*****